

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- महाराजगंज

मा0 न्यायालय ने धारा 304 में दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 25-25 हजार रूपये अर्थदण्ड की

सुनाई सजा

आज दिनांक- 04.06.2022 को मा0 न्यायालय (विशेष न्यायाधिश ई.सी. एक्ट) द्वारा थाना महाराजगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 36/18 धारा 323/34/324/504/506/304 भादवि मुकदमें में नामजद अभियुक्त 1. नवल दार यादव पुत्र स्व0 लाल चन्द्र यादव, 2- रामलखन यादव पुत्र स्व0 लाल चन्द यादव निवासी रूपयनपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ को उपरोक्त मुकदमें में दोषी पाये जाने पर 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

थाना बिलरियागंज

ग्राम छीही में हुयी घटना से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना प्रयुक्त 01 अदद लोहे की राड बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.05.2022 को समय रात्रि करीब 20.00 बजे ग्राम छीही थाना बिलरियागंज आजमगढ़ से सूचना मिली की दो पक्षों में जमीन के विवाद को लेकर मारपीट हुई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मय पुलिस फोर्स के मौके पर पहुँचा तो पीड़ित पक्ष के श्रीमती रीना पत्नी राजेन्द्र प्रसाद उम्र करीब 35 वर्ष, बालकिशुन पुत्र स्व0 सुमेर राम उम्र करीब 50 वर्ष, राधेश्याम पुत्र सुमेर राम उम्र करीब 36 वर्ष, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कुबेर राम उम्र करीब 40 वर्ष आदि को विपक्षी गण द्वारा मारा पीटा गया था। पीड़ित पक्ष के उपरोक्त लोगो को सी0एच0सी0 बिलरियागंज में इलाज हेतु ले जाया गया जहाँ पर पीड़ित पक्ष की रीना पत्नी राजेन्द्र उपरोक्त की स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण चिकित्सक द्वारा जिला चिकित्सालय आजमगढ़ रेफर किया गया था। रीना देवी को जिला अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। आवेदक श्री रविन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 कुबेर राम निवासी ग्राम छीही थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 111/2022 धारा 147/148/149/323/307/302/504/506 भा0द0वि0 बनाम केदार पुत्र बुद्धू आदि 10 नफर पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 04.06.2022 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज विजय प्रकाश मौर्य मय हमराहीयान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित फौजदार पुत्र बुद्धू सा0 छीही थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ को मधनापार तिराहा के पास समय 09.45 बजे सुबह में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशान देही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की राड बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1-फौजदार पुत्र बुद्धू सा0 छीही थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी स्थान

- मधनापार तिराहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. SO विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- गम्भीरपुर

चाकू से मारकर हत्या करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तारा

दिनांक 02.6.2022 को श्री अंकित यादव s/o दयाराम यादव मुल निवासी ग्रा0 फैजुल्लापुर थाना गम्भीरपुर उपस्थित थाना आकर प्रार्थनापत्र दिये कि मेरे पिता दयाराम अकेले गाँव पर रहते हैं दिनांक 01.06.22 को समय करीब 08.30 बजे रात मैजिक को खडा करने की बात को लेकर मेरे बडे पिता हरिश्चन्द्र यादव और उनका लड़का गुलशन यादव मिलकर गाँव के ही जवाहिर चौहान की साजिश से चाकू मारकर हत्या कर दिए हैं जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 183/22 धारा 302/120बी भादवि पंजीकृत विवेचना थानाध्यक्ष गम्भीरपुर द्वारा सम्पादित की जा रही थी

दिनांक- 04.06.2022 को थानाध्यक्ष मय हमराह मुकमदा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त जवाहिर लाल चौहान पुत्र पतिराम चौहान निवासी फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ इस समय फरिहाँ तिराहे पर कहीं भागने की फिराक मे खडा है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर तत्काल फरिहाँ तिराहे पहुँच कर अभियोग उपरोक्त के नामित अभियुक्त जवाहिर लाल चौहान पुत्र पतिराम चौहान निवासी फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को समय करीब 08.50 बजे गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 183/22 धारा 302/120बी भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1- जवाहिर लाल चौहान पुत्र पतिराम चौहान निवासी फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम.....

थानाध्यक्ष रामप्रसाद बिन्द थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
का.नीरज कुमार यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
का. सौरभ सरोज थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

अवैध तमंचा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

थाना स्थानीय पर दिनांक 30.04.2022 को मु0अ0सं0 80/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 4/25 आयुध अधि0 बनाम (1) माजिद पुत्र मोहम्मद सज्जाद (2) मो0 आजम उर्फ शिबू पुत्र मो0 मौलाना साकि0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। जिसमे नामजद अभियुक्त मो0 आजम उर्फ शिबू उपरोक्त को आज दिनांक 04.06.2022 को अवैध 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 04.06.2022 को मय फोर्स के जैगहा बाजार में चेकिंग कर रहे थे कि सूचना मिली की एक व्यक्ति नसीरपुर तिराहे से मोहम्मदपुर की तरफ पैदल-पैदल जा रहा हैं, उसके पास अवैध तमंचा हैं। यदि जल्दी किया जाय तो तमंचे के साथ पकड़ा जा सकता हैं। इस सूचना नसीरपुर चौराहे पर पहुँचे कि एक व्यक्ति मोहम्मदपुर की तरफ से तेज कदमों से

जाता हुआ दिखाई दिया पुलिस वालो द्वारा मोहम्मदपुर रोड पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम मो० आजम उर्फ शिबू पुत्र मो० मौलाना साकि० मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ बताया जिसके कब्जे से वांछित अभियुक्त पाकर बताकर समय करीब 06.30 AM बजे विधि नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता

मो० आजम उर्फ शिबू पुत्र मो० मौलाना साकि० मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
बरामदगी-

01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 113/2022 धारा 3/25 आयुद्ध अधि० थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
अपराधिक इतिहास-

मु०अ०सं० 80/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

मु०अ०सं० 113/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

मु०अ०सं० 174/2021 धारा 8/20 NDPS ACT थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्यथाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. उ०नि० आकाश कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. हे०का० सुनील कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
4. का० नितिन कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
5. म०का० ललिता सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- गम्भीरपुर

पुलिस मुटभेड मे अन्तर जनपदीय गैगेस्टर अपराधी / पशु तस्कर/ पशुचोर अवैध तमंचा कारतूस, चाकू तथा पिकअप बोलेरो मे चोरी की भैस सहित 05 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 4.6.2022 को उपनिरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह द्वारा कस्बा मुहम्मदपुर में मौजूद थे कि समय करीब रात्रि 00.49 बजे प्रभारी चौकी गोसाई की बाजार उपनिरीक्षक श्री नागेश चौधरी द्वारा अपने मोबाइल से संपर्क करके बताये कि एक सफेद रंग की पिकप बोलेरो में 8- 10 बदमाश एक भैस लादकर ले जा रहे है जिन्हें गोमाडीह तिराहे पर मेरे द्वारा हमराह पुलिस बल के साथ रोकने का प्रयास किया गया तो बडी तेजी से पुलिस वालो को जान से मारने की नियत से फायर करते हुए व ईट पत्थर से पथराव करते हुए थाना गम्भीरपुर की तरफ हाईवे से भाग रहे है जिनका पीछा उ०नि० मय हमराह द्वारा किया जा रहा है उक्त पिकप को रोकने का व पकडने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें कि उनकी इस सूचना पर उपनिरीक्षक मय हमराह पुलिस बल के साथ सदाफल तिराहे पर आकर हाईवे पर ट्रको का जाम लगाकर चेकिंग करने लगा कि थोडी देर बाद ही एक सफेद रंग की बिना नम्बर की पिकप बोलेरो बडी तेजी से वाराणसी की तरफ से आती देखाई दी कि सभी पुलिस वाले सतर्क होकर टार्च की रौशनी से इशारा करके उक्त पिकप को रोकने का प्रयास किये तो पिकप चालक व पिकप में सवार अपराधियों द्वारा पुनः ईट पत्थर से पथराव किया जाने लगा और उसमे सवार सभी अपराधियों द्वारा जोर से आवाज देकर चिल्लाया गया कि कविनाश अपने असलहे से जान से मारने की नियत से जल्दी फायर करो अन्यथा पुलिस वाले है हम पकडे जा सकते है इतने में पीछे से चौकी प्रभारी गोसाई की बाजार मय हमराह पुलिस बल के आ गए तथा दोनों तरफ से पिकप को घेर लिया गया तब पिकप चालक व डाला में बैठे कुछ लोग उतर कर हाईवे के पूरब तरफ झाडियों में अँधेरे का लाभ उठाकर भागने लगे इतने में सूचना पाकर रात्रि गस्त /ईगल मोबाइल में लगे कर्मचारीगण का. अर्जुन यादव व का. विजय यादव भी आ गए जिन्हें भागे हुए बदमाशों का पीछा करने हेतु बताकर पिकप में चालक की बायी तरफ बैठे दो व्यक्तियों व डाला में बैठे तीन व्यक्तियों को पिकप सहित व उसमे लदी एक भैस सहित पकड लिया गया। पकडे गए पहले व्यक्ति से जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो अपना नाम कविनाश उर्फ

करिया पुत्र प्यारे लाल निवासी ग्राम मुहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी से दाहिने हाथ में लिए एक अदद तमंचा 12 बोर ,तमंचे के चेंबर में एक मिस कारतूस तथा दाहिनी जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ तथा एक अदद कीपैड सैमसंग मोबाइल व एक अदद स्क्रीन टच मोबाइल रीयलमी बरामद हुआ | पकड़े गए दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम शहबाज उर्फ पुन्नू पुत्र शाहिद उर्फ करिया निवासी ग्राम मुहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 18 वर्ष बताया जिसके पास एक अदद नाजायज चाकू लोहे का बरामद हुआ डाला में बैठे तीन व्यक्तियों से क्रमशः पूछा गया तो तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम पता जुम्मन पुत्र नन्हे निवासी ग्राम मुहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र करिब 22 वर्ष जिसके पास से एक अदद नाजायज चाकू लोहे का चौथे व्यक्ति ने अपना नाम आलमगीर पुत्र नेसार अहमद निवासी ग्राम मंगरावा थाना गम्भीरपुर आजमगढ उम्र करीब 30 वर्ष जामा तलाशी से एक अदद चाकू नाजायज लोहे का तथा पकड़े गए पांचवे व्यक्ति ने अपना नाम पता अब्दुल्ला पुत्र रिजवान अहमद निवासी ग्राम फरिहा थाना निजामाबाद जिला आजमगढ उम्र करीब 26 वर्ष बताया जिसके जामा तलाशी से एक अदद नाजायज चाकू लोहे का बरामद हुआ |

पूछताछ विवरण पकड़े गए सभी पांचो अभियुक्तों से अलग अलग व सामूहिक रूप से कडाई से पूछताछ किया गया तो सभी ने अलग अलग व सामूहिक रूप से बताया कि हमारा पशु तस्करी करने का एक गिरोह है जिसका मुखिया शमीउल्ला है तथा पिकप का चालक भी वही था जो गाडी रोककर कूदकर भाग गया है भागने वालो में उसके साथ पाँच और लोग थे हम सभी मिलकर किसी का कोई भी पशु रात में चुरा लेते हैं यदि कोई बीच में रुकावट पैदा करता है तो गाडी में रखे ईट पत्थर व पास में रखे असलहे व चाकू से वारकर भाग जाते हैं किन्तु आज आप लोगो ने पकड लिया पिकप चोरी की है अथवा कैसी है इसके बारे में शमीउल्ला ही बता सकता है इसपर भैस जो लदी है इसको हम लोग पल्हना के पास से चुराए है साहब गलती हो गयी है हमें माफ कर दीजिए अब ऐसा नहीं करेंगे पकड़े गए व भागे हुए सभी व्यक्तियों का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 307,336,411,413,414 भादवि व अभियुक्त कविनाश उर्फ करिया का इसके साथ ही 3/25 A .ACT व अभियुक्तगण शहबाज उर्फ पुन्नू , जुम्मन, आलमगीर तथा अब्दुल्ला उपरोक्त का साथ ही साथ 4/25 A.ACT का अपराध पाकर सभी को समय करीब 02.30 बजे रात्रि में हिरासत पुलिस में लिया गया वाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगणो को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

- 2- मु0अ0सं0 187/22 धारा 307/336/411/413/414 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ
- 3- मु0अ0सं0 188/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना गम्भीरपुर आजमगढ
- 4- मु0अ0सं0 189/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना गम्भीरपुर आजमगढ
- 5- मु0अ0सं0 190/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना गम्भीरपुर आजमगढ
- 6- मु0अ0सं0 191/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना गम्भीरपुर आजमगढ
- 7- मु0अ0सं0 192/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना गम्भीरपुर आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त

- 2- कविनाश उर्फ करिया पुत्र प्यारे लाल निवासी ग्राम मुहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष
- 3- शहबाज उर्फ पुन्नू पुत्र शाहिद उर्फ करिया निवासी ग्राम मुहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 18 वर्ष
- 4- जुम्मन पुत्र नन्हे निवासी ग्राम मुहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ उम्र करिब 22 वर्ष
- 5- आलमगीर पुत्र नेसार अहमद निवासी ग्राम मंगरावा थाना गम्भीरपुर आजमगढ उम्र करीब 30 वर्ष
- 6- अब्दुल्ला पुत्र रिजवान अहमद निवासी ग्राम फरिहा थाना निजामाबाद जिला आजमगढ उम्र करीब 26 वर्ष

अभियुक्त कविनाश उर्फ करिया का आपराधिक इतिहास

- 1- मु.अ.स. 23/20 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व 429 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ

- 2- मु.अ.स. 74/20 धारा 3(1) गैरेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़
- 3- मु.अ.स. 180/21 धारा 379 भादवि थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकर नगर
- 4- मु.अ.स. 170/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना अहिरौली अम्बेडकर नगर
- 5- मु.अ.स. 30/22 धारा 3(1) गैरेस्टर एक्ट थाना अहिरौली अम्बेडकरनगर
- 6- मु.अ.स. 151/21 धारा 379/506 भादवि थाना अहिरौली अम्बेडकरनगर

बरामदगी:-

कविनाश के पास से एक अदद तमंचा 12 बोर एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर एक अदद खोखा कारतूस एक अदद कीपैड सैमसंग मोबाइल एक अदद स्क्रीन टच मोबाइल रीयलमी

शहबाज के पास एक अदद नाजायज चाकू

जुम्मन के पास से एक अदद नाजायज चाकू

आलमगीर के पास से अदद चाकू नाजायज

अब्दुल्ला के पास से एक अदद नाजायज चाकू

एक अदद पिकअप बोलेरो

एक अदद भैस चोरी की

गिरफ्तार करने वाली टीम.....

उ.नि.राजेन्द्र प्रसाद पटेल थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

उ.नि. नागेश चौधरी चौकी प्रभारी गोसाई की बजार थाना गंभीरपुर आजमगढ़

का.उदयभान गुप्ता थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

का. सौरभ सरोज थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

का.श्याम सिंह यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

का.अर्जुन यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

का.विजय यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

का.रघुवीर यादव चौकी गोसाई की बजार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना- जहानागंज

मारपीट में घायल पेशु, इलाज के दौरान हुयी मौत से सम्बन्धित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- श्रवण S/O पेशु R/O बारीगाँव मैनुद्वीनपुर PS जहानागंज आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर दिये कि मैं व परिवार के लोग अपने घरों में अन्दर सो रहे थे कि रात के 3 बजे के करीब मेरे ही गाँव के दीपक S/O पत्तू, भूषण S/O समबली, अन्य 09 लोगों ने पुरानी जमीन विवाद व रंजिस को लेकर अपने-2 हाथों में लाठी डण्डा, फावड़ा लेकर मेरे दरवाजे पर चढ़ आये और मुझे व मेरे परिवार को काफी बुरी तरह से गाली गुप्ता देते हुए मारने पिटने लगे जब हम लोग अपनी जान बचाकर अपने घर के अन्दर घुस गये तो ये लोग घर के अन्दर घुस कर हम लोगों को फावड़ा व लाठी से सिर पर व पूरे शरीर पर काफी बुरी तरह से मारे पीटे इनके मारने पीटने से हैदर व पेशु व विरजू के सिर में काफी गम्भीर चोटें लगी जिससे वह मौके पर गिरकर बेहोश हो गये के लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०स० 216/22 धारा 323/504/506/458/308/324/34 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना अमल में लाई गयी।

गिरफ्तारी का विवरण: दिनांक- 04.06.2022 को उ०नि० घनश्याम यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विपिन नोना चमार पुत्र मुल्ला नोना चमार निवासी मैनुद्वीनपुर बारीगाव थाना जहानागंज आजमगढ़ परदेशी मोड़ तिराह के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद कट्टा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर कट्टे बरामद किय गया है। बरामदगी के आधार पर थाना स्थायनी पर धारा 3/25 आर्मस एक्ट बताकर व मु०अ०स० 216/22 धारा

323/504/506/458/308/324/34 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़ के अपराध मे नामित अभियुक्त को समय करीब 06.30 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 228 /22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
बरामदगी –

1. एक अदद 12 बोर कट्टा
2. एक अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्त विपिन नोना चमार पुत्र मुल्ला नोना चमार निवासी मैनुद्वीनपुर बारीगाव थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

- 1- प्र0नि0 प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2- उ0नि0 धनश्याम यादव थाना जहानागंज आजमगढ़
- 3- का0 कमलेश गौड़ थाना जहानागंज आजमगढ़
- 4- का0 गंगेश गिरी थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- देवगांव

गैंगेस्टर एक्ट में एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 03.06.2022 को प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह द्वारा मु0अ0स0 172/2022 धारा 3(1)यू0पी0गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र मेवालाल रैदास नि0 नरसिंहपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ की तलाश करता हुआ ग्राम नरसिंहपुर पहुँचा एक व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर चारपाई पर बैठा हुआ था जिसका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सुनील कुमार पुत्र मेवालाल रैदास नि0 नरसिंहपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ बताया जिसको मु0अ0सं0 172/22 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ का बोध कराते हुए बाकायदा बाजसा समय करीब 20.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियोग पंजीकृत –

मु0अ0स0 172/22 धारा 3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी का स्थान--- नरसिंहपुर ,दिनांक 03.06.2022 समय 20.40 बजे

अभियुक्त का नाम पता—

- (1) सुनील कुमार पुत्र मेवालाल रैदास नि0 नरसिंहपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम –

- (1)प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़
- (2)का0 बृजेश कुमार थाना देवगाँव आजमगढ़
- (3) का0 धरणीधर थाना देवगाँव आजमगढ़